अध्याय III

शहरी स्थानीय निकायों की कार्य आधारित लेखापरीक्षा

अध्याय III

शहरी स्थानीय निकायों की कार्य आधारित लेखापरीक्षा

3.1 प्रस्तावना

कार्य-आधारित लेखापरीक्षा, भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों में से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा सेवा प्रदानगी की प्रभावशीलता और गुणवत्ता के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। यह लेखापरीक्षा इस बात का आकलन करती है कि नागरिकों को सेवाएं कितनी बेहतर तरीके से प्रदान की जा रही हैं, साथ ही यह शहरी शासन में प्रणालीगत समस्याओं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करती है।

शहरी स्थानीय निकायों की कार्य-आधारित लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23[1] में दो कार्यों अर्थात मवेशी बाड़ों, मवेशियों के प्रति क्रूरता का निवारण और स्ट्रीटलाइटिंग तथा 2023-24 में एक कार्य अर्थात बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों के विनियमन का चयन किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों का मवेशी बाड़ों, मवेशियों के प्रति क्रूरता का निवारण और बूचड़खानों एवं चर्मशोधन कारखानों के विनियमन के कार्यों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार है, जबकि स्ट्रीटलाइटिंग के कार्य में राज्य के विभागों के साथ क्षेत्राधिकार की अतिव्यापी विद्यमान थी।

3.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा के लिए चार जिलों अर्थात पानीपत व फतेहाबाद और करनाल व सिरसा का रैंडम रूप से चयन किया गया था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.1: चयनित शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

जिला	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	चयनित शहरी स्थानीय निकायों के नाम	चयनित कार्य
कार्य-आधारित लेखापरीक्षा: 2022-23				
फतेहाबाद	नगर परिषद	2	फतेहाबाद और टोहाना	मवेशी बाड़ों, मवेशियों के प्रति क्रूरता का निवारण और स्ट्रीटलाइटिंग
	नगरपालिका	1	भूना	
पानीपत	नगर निगम	1	पानीपत	
	नगरपालिका	1	समालखा	
कार्य-आधारित लेखापरीक्षा: 2023-24				
सिरसा	नगर परिषद	2	सिरसा और मंडी डबवाली	बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन।
	नगरपालिका	1	ऐलनाबाद	
करनाल	नगर निगम	1	करनाल	
	नगरपालिका	2	इंद्री और निसिंग	

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में चयनित शहरी स्थानीय निकायों में प्रासंगिक अभिलेखों की संवीक्षा और विश्लेषण, संयुक्त भौतिक सत्यापन करना तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए दस्तावेजी और साक्ष्य प्रमाणों को एकत्र करना शामिल था।

3.3 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बेंचमार्क किया गया है:

- हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973

[1] लेखापरीक्षा अवधि 2023-24 को शामिल करने के लिए अद्यतित किया गया।

- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994
- मवेशियों के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960
- मवेशी जन्म नियंत्रण (डॉग्स) नियम, 2001 (2023 में यथा संशोधित)
- हरियाणा नगरपालिका (बूचड़खानों का विनियमन) उप-विधियां, 1977
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

3.4 चयनित कार्यों का अवलोकन

चयनित कार्यों में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और कार्य नीचे दर्शाए गए हैं:

स्ट्रीटलाइटिंग: हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 66ए के अनुसार, नगरपालिकाएं एक अनिवार्य नागरिक सेवा के रूप में स्ट्रीट लाइट प्रदान करने और उसका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। नगरपालिकाओं से यह अपेक्षित है कि वे सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाएं, उनका संचालन और रखरखाव करें, सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें, अवसंरचना की योजना बनाएं, ऊर्जा-कुशल प्रणालियों को अपनाएं और समय पर मरम्मत का कार्य करें तथा साथ ही विश्वसनीय लाइटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

मवेशी बाड़े: हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और मवेशी क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत नगरपालिकाएं मवेशी बाड़ों को विनियमित करती हैं और मवेशियों के प्रति क्रूरता को रोकती हैं, आवारा मवेशियों के लिए जब्ती सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव करती हैं तथा मानवीय व्यवहार, चारा-पानी और शेल्टर सुनिश्चित करती हैं। वे मवेशी कल्याण और शहरी स्वच्छता के लिए भी अनुपालन सुनिश्चित करती हैं, निरीक्षण सुविधाओं का प्रबंधन करती हैं और उल्लंघन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती हैं।

बूचड़खाने और चर्मशोधन कारखाने: हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 66ए के अनुसार, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और मवेशी कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बूचड़खानों की स्थापना और उनका विनियमन करना नगरपालिकाओं का उत्तरदायित्व है। नगरपालिकाएं केवल स्वीकृत परिसरों में ही पशुवध की अनुमति देती हैं, लाइसेंस जारी करती हैं, मवेशी चिकित्सकीय निरीक्षण सुनिश्चित करती हैं, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निपटान का रखरखाव करती हैं और मानवीय व्यवहार को लागू करती हैं; इसके साथ ही वे सुरक्षित मांस की आपूर्ति और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित करती हैं।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.5.1 स्ट्रीटलाइटिंग संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पानीपत और फतेहाबाद के शहरी स्थानीय निकायों में स्ट्रीटलाइटिंग के कार्य की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियां नीचे दी गई हैं।

3.5.1.1 केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के गैर-कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप स्ट्रीटलाइटिंग सेवाओं की बहाली में विलंब

केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) पैनल, लाइटिंग संचालन की रिमोट निगरानी की सुविधा प्रदान करती है जैसे कि लाइटों को चालू या बंद करना, उनकी रोशनी को धीमा करना और ऊर्जा की खपत को ट्रैक करना। यह पैनल वास्तविक समय का डेटा भी प्रदान करते हैं और ओवर/अंडर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट या अन्य गड़बड़ियों जैसी समस्याओं के लिए स्वचालित रूप से खराबी की रिपोर्ट कर सकते हैं या अलर्ट भेज सकते हैं।

शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट लाइटिंग प्रणाली की निगरानी के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली पैनल स्थापित करने और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने के संबंध में एक विस्तृत योजना और अनुमान तैयार करने के निर्देश जारी (मई 2023) किए थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दो वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद अक्तूबर 2025 तक चयनित पांच शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगम, पानीपत, नगरपालिका समालखा, नगर परिषद फतेहाबाद, नगर परिषद टोहाना और नगरपालिका भूना में केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली पैनल को लागू नहीं किया गया है।

नगर निगम, पानीपत और नगरपालिका, समालखा ने बताया (अक्तूबर 2025) कि केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है जबकि फतेहाबाद के तीनों चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने इसकी स्थापना न होने का कारण निधियों की कमी को बताया।

यह देखते हुए कि केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली बेहतर दक्षता, विश्वसनीयता और निगरानी को सक्षम बनाती है, इसके कार्यान्वयन न होने से रिमोट निगरानी, समय पर खराबी का पता लगाने, ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और स्ट्रीटलाइटों के स्वचालित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; जिससे स्ट्रीटलाइटिंग के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

3.5.1.2 स्ट्रीटलाइटिंग सेवाओं के लिए नागरिक फीडबैक तंत्र का अभाव

स्ट्रीटलाइटिंग अवसंरचना के संबंध में जनता की संतुष्टि का मूल्यांकन करने और सुधार वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सुदृढ़ फीडबैक तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचालन और रखरखाव प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करना यह सुनिश्चित करता है कि नगर निकाय सेवाएं उत्तरदायी, समावेशी और सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

लेखापरीक्षा में संवीक्षा की गई कि क्या चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने स्ट्रीटलाइटों के निष्पादन के संबंध में नागरिकों या नागरिक समूहों से फीडबैक एकत्र करने के लिए कोई प्रणाली स्थापित की थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकाय में ऐसी कोई फीडबैक प्रणाली विद्यमान नहीं थी। यह स्पष्ट करता है कि स्ट्रीटलाइटिंग अवसंरचना की निगरानी या रखरखाव में लाभार्थियों (शिकायतकर्ताओं) की कोई भागीदारी नहीं थी। नगर परिषद टोहाना में, स्ट्रीटलाइटों के संचालन और रखरखाव के लिए ठेकेदार के साथ किए गए सेवा करार में फीडबैक तंत्र की क्लॉज को शामिल नहीं किया गया था।

नागरिक फीडबैक प्रणाली के अभाव से खराब लाइटों, अपर्याप्त कवरेज या मरम्मत में विलंब जैसी बार-बार होने वाली समस्याओं की पहचान/स्थान निर्धारण के साथ-साथ सेवा प्रदानगी में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता प्रभावित होती है।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के पास भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

3.5.1.3 संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां

नगरपालिका, समालखा

नगरपालिका, समालखा में कुल 17 वार्ड हैं। संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए सबसे अधिक शिकायतों वाले वार्ड नंबर 5 का चयन किया गया था, जिसे 29 अक्तूबर 2025 को नगरपालिका, समालखा के अधिकारियों की उपस्थिति में संचालित किया गया था। इस दौरान निम्नलिखित मुख्य कमियां पाई गई थी:

- **स्ट्रीटलाइट की स्थापना, कवरेज और कार्यक्षमता में कमियां**

भौतिक सत्यापन में तीन स्थानों अर्थात मालपुर, हथवाला रोड से सटी गली और सीताराम कॉलोनी में खंभों का अनियमित रूप से लगाया जाना पाया गया, जिसके कारण वहां अंधेरे क्षेत्र बने हुए थे। हथवाला रोड पर कोई भी स्ट्रीटलाइट नहीं पाई गई, और खंभों के अभाव या हाई टेंशन लाइनों जैसी बाधाओं के कारण कई आंतरिक गलियां प्रकाश व्यवस्था से वंचित रही, जबकि कुछ नए स्थापित किए गए खंभों में स्विच ही नहीं थे और लाइटें घरों की दीवारों पर लगाई गई थी। इसके अलावा, लाइटों की गलत दिशा और उनके अकार्यशील होने के मामले भी पाए गए थे।

फोटोग्राफ 1: हथवाला मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट न होने को दर्शाता हुआ

फोटोग्राफ 2: गहलयान डेयरी के पास लगी लाइट, जो सड़क के बजाय खंभे की तरफ मुड़ी हुई थी और अकार्यशील थी, को दर्शाता हुआ

- **रखरखाव और शिकायत निवारण तंत्र में कमियां**

कोई निवारक रखरखाव प्रणाली लागू नहीं थी और मरम्मत का कार्य केवल शिकायतें प्राप्त होने पर ही किया जा रहा था। शिकायतों की ट्रैकिंग केवल मैनुअल रजिस्टरों तक ही सीमित थी, जिससे निगरानी और समय पर निवारण प्रभावित हुआ। इसके अलावा, नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल-फ्री नंबर या डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित नहीं किए गए थे।

फतेहाबाद जिला

फतेहाबाद के चयनित शहरी स्थानीय निकायों में 14 से 16 अक्तूबर 2025 के दौरान संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बातें सामने आईं:

शहरी स्थानीय निकाय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए निष्कर्ष
नगर परिषद, फतेहाबाद	आठ स्थानों में से छः स्थानों पर स्ट्रीटलाइटें अकार्यशील पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप रास्ते अंधेरे में डूबे हुए थे।
नगर परिषद, टोहाना	टाउन पार्क (मदन लाल ढींगरा पार्क) में स्थापित सभी 36 खंभे बिना लाइट के पाए गए, जबकि निरीक्षण किए गए अन्य तीन स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें चालू पाई गईं। यह रखरखाव और निगरानी में एकरूपता की कमी को दर्शाता है।
नगरपालिका, भूना	शिकायत रजिस्टर में केवल तिथि और स्थान दर्ज किया गया था, जबकि मरम्मत या शिकायत बंद होने की तिथियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय शिकायतों की उचित रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग के लिए एक उपयुक्त शिकायत प्रणाली शुरू करें। इसके अलावा, स्ट्रीटलाइट के रखरखाव में दक्षता लाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन, सर्वेक्षण या सामुदायिक बैठकें आदि जैसे फीडबैक तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

3.5.2 मवेशी बाड़ों और मवेशी क्रूरता निवारण से संबंधित निष्कर्ष

मवेशी क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 35 मवेशियों की देखभाल, उपचार और उनकी कस्टडी से संबंधित है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 38 केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण (डॉग्स) नियमावली, 2001 (2023 में यथा संशोधित) तैयार किए, विशेष रूप से स्थानीय अधिकारियों द्वारा आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने, उनके भोजन, टीकाकरण और चिकित्सा देखभाल से संबंधित नियम।

3.5.2.1 आवारा मवेशियों के शेल्टर और उनकी सुरक्षा के लिए बाड़ों की स्थापना न किया जाना

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड ने बताया (जुलाई 2018) कि आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर, पानी, पर्याप्त भोजन, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान करना सभी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है। इस उद्देश्य के लिए, नगरपालिकाओं को अपेक्षित अवसंरचना, विशेष रूप से शेल्टर, पानी, चारा, चिकित्सा सुविधाएं, आवारा पशुओं का बचाव और पुनर्वास तथा जनता की शिकायतों/समस्याओं के निवारण का प्रावधान आदि के साथ मवेशी बाड़ों का पुनरुद्धार/निर्माण करना होगा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

मवेशियों के लिए शेल्टर और पाउंड्स: चयनित शहरी स्थानीय निकायों अर्थात नगर निगम, पानीपत, नगरपालिका समालखा, नगर परिषद फतेहाबाद, नगर परिषद टोहाना और नगरपालिका भूना में से किसी ने भी मवेशियों के लिए कोई मवेशी बाड़ा या शेल्टर स्थापित नहीं किया। नगर निगम, पानीपत में आवारा मवेशियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कठिनाईयों के संबंध में प्राप्त और निवारण की गई शिकायतों का कोई शिकायत रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

नगर निगम, पानीपत ने आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए एक एजेंसी को कार्य पर रखा था, जिन्हें रखने के लिए नैन में स्थित श्री गोपाल गौशाला में भेजा जाता है। नगर निगम, पानीपत द्वारा प्रति माह ₹ दो लाख (अक्तूबर 2020 से) का भुगतान किया जा रहा था, जिसे जून 2023 से बढ़ाकर ₹ पांच लाख प्रति माह कर दिया गया और बाद में दिसंबर 2024 से बढ़ाकर ₹ 7.50 लाख कर दिया गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्तूबर 2025) के दौरान पाया गया कि आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए उत्तरदायी एजेंसी से प्राप्त मवेशियों का रजिस्टर, प्राप्त हुए, मृत, बेचे गए या नवजात मवेशियों के मासिक विवरण के साथ अद्यतित नहीं किया गया था। इसके अलावा, टीकाकृत और बिना टीकाकृत मवेशियों को बिना किसी पहचान या टैगिंग प्रणाली के एक साथ रखा गया था, जिससे उन्हें अलग करना संभव नहीं था, यह स्थिति मवेशियों को संक्रामक रोगों के खतरे में डाल सकती है।

पानीपत[2] और फतेहाबाद[3] जिलों के अन्य चयनित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया कि आवारा मवेशियों को पास की गौशालाओं में भेजा गया था, लेकिन इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया/प्रस्तुत नहीं किया गया।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

आवारा मवेशियों के उचित रिकॉर्ड का रखरखाव न करने से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवारा मवेशियों के नियोजन और प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3.5.2.2 कुत्तों के स्टरलाइजेशन में कमियां, जिसके परिणामस्वरूप कुत्तों की संख्या और बाइट की घटनाओं में वृद्धि हुई

मवेशी जन्म नियंत्रण (डॉग्स) नियम, 2001 के अनुसार, पालतू कुत्तों के मालिक नियंत्रित प्रजनन, इम्यूनाइजेशन, स्टरलाइजेशन और लाइसेंसिंग के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन मवेशी कल्याण संगठनों, निजी व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी से किया जाएगा। इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें पाई गईं:

- **आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन:** नगर निगम, पानीपत (एमसीपी) ने कुत्तों की स्टरलाइजेशन के लिए जून 2021 तक की अवधि के लिए एक एजेंसी को कार्य पर रखा था (जनवरी 2021), जिसे बाद में जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, नगर निगम, पानीपत द्वारा एबीसी नियमावली, 2001 के नियम 5(ई) के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, स्टरलाइजेशन का कार्य सौंपने से पहले कुत्तों की जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन नहीं किया गया था, जबकि यह नियम प्रावधान करता है कि कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम की योजना और प्रबंधन के लिए स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आवारा कुत्तों की संख्या का सर्वेक्षण किया जाएगा। एजेंसी ने जून 2022 तक आवारा कुत्तों की कुल 6,187 स्टरलाइजेशन की, जिसमें जून 2021 तक की गई 2,176 स्टरलाइजेशन शामिल है।

---

2 नगरपालिका समालखा।

3 नगर परिषद फतेहाबाद, नगरपालिका भूना और नगर परिषद टोहाना।

- **डॉग बाइट के मामले:** डॉग बाइट के मामलों की संख्या 2022-23 में 17,766 से बढ़कर 2023-24 में 21,576 हो गई और 2024-25 में बढ़कर 36,336 हो गई, जो डॉग बाइट के मामलों में लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके बावजूद, ₹ 96 लाख का बजट उपलब्ध होने के बाद भी वर्ष 2023-24 में कुत्तों की कोई स्टरलाइजेशन नहीं की गई। यह उल्लेखनीय है कि कुत्तों की स्टरलाइजेशन का कार्य आदेश 4 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसे 25 मार्च 2025 से प्रभावी होना था।
- नगरपालिका समालखा, नगर परिषद फतेहाबाद, नगर परिषद टोहाना और नगरपालिका भूना में आवारा व पालतू कुत्तों की संख्या से संबंधित रिकॉर्ड और डॉग बाइट के मामलों के संबंध में प्राप्त पब्लिक शिकायतों के डेटा का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, इन शहरी स्थानीय निकायों में कुत्तों की कोई स्टरलाइजेशन नहीं की गई, जबकि फतेहाबाद जिले में डॉग बाइट के मामले 2022-23 में 4,647 से बढ़कर 2024-25 में 6,859 हो गए। आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए किसी भी दीर्घकालिक रणनीति को तैयार करने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।
- **कुत्तों का पंजीकरण:** हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 311 के तहत नगर निगम क्षेत्रों के भीतर रखे जाने वाले कुत्तों के पंजीकरण का प्रावधान है। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नगर निगम, पानीपत में 2020-21 से 2023-24 तक कुत्तों के पंजीकरण का केवल एक मामला सामने आया, जबकि समालखा, टोहाना, फतेहाबाद और भूना के नगर निकायों में मार्च 2024 तक कुत्तों का कोई पंजीकरण नहीं किया गया था। यह स्पष्ट करता है कि शहरी स्थानीय निकायों ने पालतू कुत्तों के विनियमन के लिए वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी नगरपालिकाएं पकड़े गए आवारा मवेशियों के लिए मवेशी बाड़ों का निर्माण करें, विनियामक कार्यों और नगरपालिका राजस्व सृजन को समर्थन देने के लिए निर्धारित फीस के साथ कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करें और कुत्तों की स्टरलाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक त्रि-स्तरीय समिति का गठन करें।

3.5.3 बूचड़खानों और चर्मशोधन कारखानों का विनियमन

हरियाणा में बूचड़खानों का विनियमन हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, हरियाणा नगरपालिका (बूचड़खानों का विनियमन) उप-नियम, 1977, मवेशी क्रूरता निवारण (बूचड़खाना) नियम, 2001 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 द्वारा शासित होता है। सिरसा और करनाल जिलों के चयनित शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

3.5.3.1 बूचड़खानों के अकार्यशील होने के परिणामस्वरूप अस्वच्छ परिस्थितियों का उत्पन्न होना

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 170 (1) नगरपालिकाओं को बिक्री के लिए लक्षित मवेशियों के वध हेतु नगरपालिका सीमाओं के भीतर या बाहर परिसरों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करती है। समितियां इन परिसरों के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकती हैं या

वापस ले सकती हैं और यदि परिसर नगरपालिका के स्वामित्व में हैं, तो वे किराया या फीस उदग्रहित कर सकती हैं। इसके अलावा, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (धारा 25 और 26) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (धारा 21) के प्रावधानों के अंतर्गत, उच्च प्रदूषण क्षमता के कारण बूचड़खानों को रेड कैटेगरी के तहत वर्गीकृत किया गया है; जिसके कारण उनके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना हेतु पूर्व सहमति (सीटीई) और संचालन हेतु सहमति (सीटीओ) प्राप्त करना अनिवार्य है।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2001-03 के दौरान चार बूचड़खानों का निर्माण किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इनमें से तीन बूचड़खाने अकार्यशील थे (दिसंबर 2024), जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: अकार्यशील बूचड़खानों का विवरण

नगरपालिका	बूचड़खाने	निर्माण वर्ष	किया गया व्यय (₹ लाख में)
नगर परिषद, सिरसा	1	2001	7.13*
नगर परिषद, मंडी डबवाली	1	2002-03	7.13
नगरपालिका, ऐलनाबाद	1	2002	2.53

** सिरसा में बूचड़खाने का वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं था, यह नगर परिषद को प्रदान किया गया अनुदान है।*

शहरी स्थानीय निकायों ने बूचड़खानों के अकार्यशील होने के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया:

नगर परिषद, सिरसा: वर्ष 2001 में निर्मित बूचड़खाने को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) की स्थापना न होने के कारण वर्ष 2013 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद, अक्तूबर 2019 में अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया गया था, हालांकि, बूचड़खाने को चालू करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे (सितंबर 2024)।

नगर परिषद, मंडी डबवाली: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति न मिलने के कारण वर्ष 2013 में बूचड़खाने का संचालन बंद कर दिया गया था। इसके अलावा, एक नए, आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण के लिए नवंबर 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

नगरपालिका, ऐलनाबाद: वर्ष 2002 में निर्माण के बाद से ही बूचड़खाने का कभी उपयोग या संचालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, विद्यमान बूचड़खाने के पुनरुद्धार के लिए जुलाई 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

उपर्युक्त बूचड़खानों के संचालन की अद्यतित स्थिति की प्रतीक्षा है (मई 2026)।

अनधिकृत पशुवध संचालन: सिरसा, मंडी डबवाली, ऐलनाबाद और करनाल के चयनित शहरी स्थानीय निकायों में अनधिकृत पशुवध और मांस की दुकानें पाई गई। सिरसा में बिना लाइसेंस के 38 अनधिकृत मांस की दुकानें संचालित (सितंबर 2024) हो रही थी, जबकि मंडी डबवाली, ऐलनाबाद और करनाल में इस प्रकार के किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया था। हालांकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ऐसी पशुवध गतिविधियों को बंद करने का निर्देश देने वाले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, नगरपालिका निसिंग द्वारा जून 2021 में ₹ 54.99 लाख की लागत से 16 दुकानों के साथ मीट मार्केट का निर्माण पूरा किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मांस विक्रेताओं को आवंटन न किए जाने के कारण, चार वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद मीट मार्केट अभी भी अनुपयोगी पड़ी हुई थी (मार्च 2025)।

कार्यात्मक बूचड़खानों के अभाव के परिणामस्वरूप मवेशियों के वैज्ञानिक और स्वच्छ वध के लिए विनियमित सुविधाओं की अनुपलब्धता रही, जिससे अनधिकृत पशुवध प्रथाओं को बढ़ावा मिला।

इन मामलों को जनवरी 2026 में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजा गया था, लेकिन उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2026)।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैज्ञानिक और स्वच्छ पशुवध के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में अधिकृत बूचड़खानों का संचालन शुरू किया जाए, साथ ही अनधिकृत मांस की दुकानों के प्रसार को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा, नगर निकायों को लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकानों का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा अनधिकृत पशुवध गतिविधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

3.6 निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों के चयनित कार्यों की कार्य-आधारित लेखापरीक्षा में कई प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं; जैसे कि केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन न होना, जिससे स्ट्रीटलाइटों की रिमोट निगरानी, खराबी का पता लगाने और उनके स्वचालित संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, नागरिक फीडबैक प्रणाली के अभाव से सेवा प्रदानगी में जवाबदेही और पारदर्शिता प्रभावित हुई, आवारा मवेशियों के शेल्टर और उनकी सुरक्षा के लिए बाड़ों की स्थापना नहीं की गई, और कुत्तों की स्टरलाइजेशन में कमियां पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप चयनित जिलों में कुत्तों की संख्या और उनके बाईट की घटनाओं में वृद्धि हुई।

इसके अलावा, लगातार होते आ रहे अनधिकृत पशुवध के मामले भी पाए गए, जिससे अस्वच्छ परिस्थितियों में पशुवध और पशु अपशिष्ट के अनुचित निपटान के कारण जन-स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न हो गया, इसने स्वच्छता, पर्यावरणीय स्थिरता और जन-स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

यह रिपोर्ट जनवरी 2026 में राज्य सरकार को जारी की गई थी, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2026)।

3.7 सिफारिशें

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय शिकायतों की उचित रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग के लिए एक उपयुक्त शिकायत प्रणाली शुरू करें। इसके अलावा, स्ट्रीटलाइट के रखरखाव में दक्षता लाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन, सर्वेक्षण या सामुदायिक बैठकें आदि जैसे फीडबैक तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी नगरपालिकाएं पकड़े गए आवारा मवेशियों के लिए मवेशी बाड़ों का निर्माण करें, विनियामक कार्यों और नगरपालिका राजस्व सृजन को समर्थन देने के लिए निर्धारित फीस के साथ कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करें और कुत्तों की स्टरलाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक त्रि-स्तरीय समिति का गठन करें।*

- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैज्ञानिक और स्वच्छ पशुवध के लिए नगर निकाय क्षेत्रों में अधिकृत बूचड़खानों का संचालन शुरू किया जाए, साथ ही अनधिकृत मांस की दुकानों के प्रसार को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा, नगर निकायों को लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकानों का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा अनधिकृत पशुवध गतिविधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए।*